कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांकः— 🖁 🎖 🗸 🖊 १३—१

ललितपुर, दिनांकः— 🔊 जुलाई / 2022

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), डोढ़ा घाट, ललितपुर।

- विषय– Laying of Dritbution Pipeline from Banguwan Kalan to Madona, Banguwan Kalan Village, Ghisauli, Dhorra (WTP) to Dhojri, Dudhai to Chimna, Bamrola to Bhainsai, Kumrola to Bamrola, Panari to Subhashpura (Lalitpur), Maharra to Nadanwara, Maharra to Bighahet & Nadanwara to Lakhanpur (Total Km 28.29) of Village Water Supply Scheme, District-Lalitpur (U.P.)
- संदर्भ— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्राक–380/11–सी, दिनांक 27.07.2022 |

प्रस्ताव सं0- FP/UP/Water/155091/2022

अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिछायी जा रही पेयजल पाइपलाइन परियोजनाओं की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुमति हेतु प्रेषित किये गये प्रस्तावों में भारत सरकार के द्वारा सामान्यतः कुछ कमियां/त्रुटियां पायी गयी है, जिसके कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है :--

- 1. As per the GIS DSS and SOI toposheet the demarcation of forest area proposed for diversion is undervalued.
- 2. Some parts of the forest area are demarcated as Non Forest, this need to be rectified. Kml fike of the entire route (Forest and Non-Forest) meens to be submitted in polyfon format.
- **3.** As area proposed for diversion is crossing Road, River & Canal, so NOCs from concerned departments (NHAI/PWD, Irrigation, etc) needs to be submitted.
- 4. Component wise breakup of entire land needs to be submitted.
- 5. Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted, all components needs to be depicted in Kml file.
- 6. An undertaking needs to be submitted by the user agency stating that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project and that know subsequent proposal shall be initiated for the some proposed involving the same area.
- 7. The layout plan duly signed and sealed by PWD/Component authrority needs to be uploaded on PRAIVESH portal.
- 8. Whether laying of water pipeline is in existing rows within the diverted forest area or not?
- 9. The size of trench for laying of underground pipeline within existing ROWs is not mention.
- 10. Kml file of proposed entire route (Forest land & Non Forest land) need to be submitted in Polygon formate.
- 11. आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव में न्यूनतम ट्रेन्च का साइज 15 से0मी0 रखा गया है एवं अन्य स्थलो पर ट्रेन्च का साइज 30 से0मी0 से 60 से0मी0 तक रखा गया है। स्पष्ट करें कि ट्रेन्च का साइज का अलग–अलग मानक रखने का औचित्य क्या है?

- 12. उपरोक्त प्रस्ताव में न्यूनतम ट्रेन्च का साइज 15 से0मी0 से काम चल सकता है, तो ट्रेन्च का साइज बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत न्यूनतम वनभूमि का उपयोग का अनुपालन करना सुनिष्चित करें।
- 13. उक्त प्रस्ताव का के०एम०एल० फाइल को रेवन्यू मैप पर प्रदर्शित करें, जिससे प्रस्तावित स्थल के गाटा संख्या की जांच की जा सके।
- 14. उक्त प्रस्ताव में पाइपलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०–44 के समानांतर डाली जानी प्रस्तावित है, जिस हेतु भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 15. आपके द्वारा EDS का Replay किया जा रहा है, परन्तु PARIVESH PORTAL पर EDS की Copy को अपलोड नहीं किया जा रहा है और न ही डाक के माध्यम से इस कार्यालय में प्रेषित किया जा रहा है।

आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव में सहयोग नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर पर लम्बित प्रदर्शित हो रहा है तथा आप द्वारा उक्त प्रस्ताव में रूचि नहीं ली जा रही है, जिस कारण उच्चाधिकारियों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है।

अतः आप प्रस्ताव का भली–भांति परीक्षण कर उपरोक्त कमियों का निराकरण करते हुये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो⁄एक्टो⁄नियमों के अनुसार ही त्रुटिरहित पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिष्टिचत करें, जिससे प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सके।

प्रभागीय निर्देशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ॒ ललितपुर

/ सम दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, लखनऊ।
- 3. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ०प्र०, झांसी।
- 4. वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।
- जिलाधिकारी, ललितपुर।
- अपर जिलाधिकारी/नमामि गंगे, ललितपुर। 6.

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर

E:ANKIT/STTLEMENT/Gaytr 155091